

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 51] दिल्ली, दिसम्बर 19—दिसम्बर 25, 2008, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 28—पौष 4, 1930 [रा रा क्षे दि सं. 276
No. 51] DELHI, DECEMBER 19—DECEMBER 25, 2008, THURSDAY/AGRAHAYANA 28—PAUSA 4, 1930 [NCTD No. 276

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय : मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण
आदेश

दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10(429)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2294.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अजोर पावर इंडिया प्रा. लि., ए-11, दूसरी मंजिल, कैलाश कालोनी, लाला लाजपत राय मार्ग, नई दिल्ली 110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,17,94,654/- मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी-1 से पी-4944 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 11,795/- (रुपये ग्यारह हजार सात सौ पंचानव) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY
ORDERS

Delhi, the 22nd December, 2008

F. No. 10(429)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2294.—In
exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Azure Power India Private Limited, A-11, 2nd Floor, Kailash Colony, Lala Lajpat Rai Marg, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,795/- (Rs. Eleven Thousand Seven Hundred Ninety Five) on the aggregate value of shares of Rs. 1,17,94,654/- for preference share certificates with distinctive Nos. P-1 to P-4944 be issued by the said company.

सं. फा. 10(428)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2301.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इम्पेक्ट रिटेल प्रा. लि., एच-3/157, दूसरी मंजिल, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 23,59,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 2,36,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,35,900/- (रुपये दो लाख पैंतीस हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(428)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2301.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Impact Retail Private Limited, H-3/157, 2nd Floor, Vikaspuri, New Delhi-110018 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,35,900/- (Rs. Two Lac Thirty Five Thousand Nine Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 23,59,00,000/- for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,36,00,000 be issued by the said company.

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10(427)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2385.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बीएचपी बिलिटन मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., आठवीं मंजिल, टावर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,90,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 40,101 से 29,40,100 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 29,000/- (रुपये उनतीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 24th December, 2008

F. No. 10(427)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2385.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s BHP Billiton Marketing Services India Private Limited, 8th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 29,000/- (Rs. Twenty Nine Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 2,90,00,000/- for equity share certificates with distinctive Nos. 40,101 to 29,40,100 be issued by the said company.

सं. फा. 10(359)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2382.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्वात्रो बीपीओ सोल्युशन्स प्रा. लि.,

ए-16/9, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 16,88,44,308/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 23,00,00,001 से 33,61,77,642 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,68,845/- (रुपये एक लाख अड़सठ हजार आठ सौ पैंतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(359)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2382.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Quattro BPO Solutions Private Limited, A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,68,845/- (Rs. One Lac Sixty Eight Thousand Eight Hundred Forty Five) on the aggregate value of shares of Rs. 16,88,44,308/- for equity share certificates with distinctive Nos. 23,00,00,001 to 33,61,77,642 be issued by the said company.

सं. फा. 10(424)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2383.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रेक्सस हेल्थ इंडिया प्रा. लि., आर-ए 4 शॉप, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली-110012 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,04,91,500/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30,96,259 से 36,20,833 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,492/- (रुपये दस हजार चार सौ बानवें) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(424)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2383.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Prexus Health India Private Limited, R-A 4 Shop, Inderpuri, New Delhi-110012 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,492/- (Rs. Ten Thousand Four Hundred Ninety Two) on the aggregate value of shares of Rs. 1,04,91,500/- for equity share certificates with distinctive Nos. 30,96,259 to 36,20,833 be issued by the said company.

सं. फा. 10(426)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2384.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेशनल स्किल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन, कमरा सं. 73, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्नैस, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,07,98,940/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 107 से 70,80,000 है, लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 70,799/- (रुपये सत्तर हजार सात सौ निम्नानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(426)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2384.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s National Skill Development Corporation, Room No. 73, Ministry of Finance, North Block, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 70,799/- (Rs. Seventy Thousand Seven Hundred Ninty Nine) on the aggregate value of shares of Rs. 7,07,98,940/- for equity share certificate with distinctive Nos. 107 to 70,80,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(415)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2379.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्विपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., डी-2, साउदर्न पार्क, पाचवीं मंजिल, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 472,00,24,352/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 16,93,96,000 से 20,31,12,867 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 47,20,025/- (रुपये सैंतालीस लाख बीस हजार पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(415)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2379.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Quippo

Telecom Infrastructure Limited, D-2, Southern Park, 5th Floor, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 47,20,025/- (Rs. Forty Seven Lac Twenty Thousand Twenty five) on the aggregate value of shares of Rs. 472,00,24,352/- for equity share certificates with distinctive Nos. 16,93,96,000 to 20,31,12,867 be issued by the said company.

सं. फा. 10(404)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2380.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हाइड्रो तस्मानिया कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि., 12वीं मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,16,74,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 32,13,901 से 43,81,300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 11,674/- (रुपये ग्यारह हजार छः सौ चौहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(404)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2380.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Hydro Tasmania Consulting India Pvt. Ltd., 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,674/- (Rs. Eleven Thousand Six Hundred Seventy Four) of the Aggregate value of shares of Rs. 1,16,74,000/- for equity share certificate with distinctive Nos. 32,13,901 to 43,81,300 be issued by the said company.

सं. फा. 10(413)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2381.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हल्दर टोपसो इंडिया प्रा. लि., बी-42, पहली मंजिल, पंचशील इंकलेव, दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,56,53,920/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 54,13,907 से 99,79,298 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 45,654/- (रुपये पैंतालीस हजार छः सौ चौवन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(413)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2381.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Haldor Topse India Private Limited, B-42, First Floor, Panchsheel Enclave, Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 45,654/- (Rs. Forty Five Thousand Six Hundred Fifty Four) on the aggregate value of shares of Rs. 4,56,53,920/- for equity share certificates with distinctive Nos. 54,13,907 to 99,79,298 be issued by the said company.

सं. फा. 10(425)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./08/2378.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., सातवीं और आठवीं मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 36,66,66,660/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 18,01,20,839 से 21,67,87,504 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क

रुपये 3,66,667/- (रुपये तीन लाख छयासठ हजार छः सौ सड़सठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(425)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2378.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Samsung India Electronics Private Limited, 7th and 8th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,66,667/- (Rs. Three Lac Sixty Six Thousand Six Hundred Sixty Seven) on the aggregate value of shares of Rs. 36,66,66,660/- for equity share certificates with distinctive Nos. 18,01,20,839 to 21,67,87,504 be issued by the said company.

By Order of the Chief Controlling Revenue Authority, Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)